

सेक्शन 498ए को लागू करने के लिए ‘वैध विवाह’ आवश्यक शर्त नहीं है

‘लिव-इन’ में शादी का इरादा सिद्ध करना मुश्किल

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498ए का विस्तार लिव-इन संबंधों के लिए भी किया है. लेकिन महिला को साबित करना होगा कि शादी का इरादा था. यह करना आसान न होगा. पहले यह जान लेते हैं कि वैवाहिक क्रूरता क्या है? इस 2016 के केस के केंद्र में आईपीसी की धारा 498ए की व्याख्या थी (जो अब बीएनएस, 2023 की धारा 85 है), जिसके तहत पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी पत्नी के साथ क्रूरता करना दंडनीय अपराध है. कानून दो प्रकार की वैवाहिक क्रूरता को मान्यता प्रदान करता है. एक-शारीरिक या मानसिक यातना अथवा दहेज हासिल करने के लिए दबाव. दो कोई भी ऐसा व्यवहार, जिससे पत्नी को गंभीर चोट पहुंचे या वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए.

अदालत के समक्ष जो मामला था, उसमें आरोपी ने अपनी पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद वह और उसकी दूसरी पत्नी घरेलू व सामाजिक जिम्मेदारियां साथ निभाने लगे. जब इस महिला ने 6 वर्ष बाद क्रूरता की शिकायत दर्ज कराई तो आरोपी की प्रतिक्रिया यह थी कि उक्त कानून उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका ‘वैध विवाह’ नहीं था. हिंदू कानून में बहुपत्नी विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है. लेकिन कर्नाटक

हाईकोर्ट ने माना कि सेक्शन 498ए को लागू करने के लिए ‘वैध विवाह’ आवश्यक शर्त नहीं है. इसके तहत शून्य विवाह (मसलन, बहुपत्नी, अपने रक्त संबंधों में विवाह, डर या दबाव में की गई शादी) और शादी जैसे रिश्ते भी कवर होंगे. कर्नाटक हाईकोर्ट की इस विस्तृत व्याख्या से आरोपी व केंद्र सरकार सहमत नहीं थे. उनका तर्क था कि ‘पति’ केवल उसे माना जा सकता है, जो वैध रूप से विवाहित पुरुष हो, उसके

अतिरिक्त कोई ‘पति’ नहीं हो सकता. दूसरी ओर कर्नाटक सरकार व संबंधित महिला का तर्क था कि पुरुष को अपनी ही गलतियों का लाभउठाने नहीं दिया जा सकता कि वह पहले धोखे से अवैध विवाह करे और फिर उस महिला पर जुल्म करे.

अदालत ने कहा कि सेक्शन 498ए का उद्देश्य पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा घर की महिला के विरुद्ध ‘निंदनीय व्यवहार’ को रोकना है और स्वाभाविक रूप से यह बात ‘शादी जैसे रिश्तों’ पर भी लागू होती है. सुप्रीम कोर्ट की जो नई रूलिंग है, उसके तहत दोष सिद्ध होने पर अब आरोपी को सजा भी हो सकती है.

इसका अर्थ हुआ कि लिव-इन संबंधों में अब नागरिक राहत के साथ दंडात्मक राहत भी है. लेकिन 498ए के तहत राहत पाने के लिए महिला को साबित करना होगा 1. संबंध शादी जैसा था और 2. इरादा शादी करने का था. अदालतें संबंध के साक्ष्य के रूप में अनेक तत्वों को देख सकती हैं- इरादा, संग रहने की अवधि, लिव-इन व एक ही घर को चलाना, वित्तीय संसाधनों की पूलिंग, यौन संबंध होना, बच्चों की परवरिश और समाज में ऐसे पेश आना जैसे विवाहित हों. क्या शादी का इरादा था? यह तथ्य का प्रश्न है और इसे अनेक तरह से साबित किया जा सकता है. अदालत द्वारा खड़ा किया गया परीक्षा का यह कांटा अस्पष्ट है और महिला शिकायतकर्ताओं को इससे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं.

छाशादी जैसी स्थितियों में महिलाओं को क्रूरता से सुरक्षित रखने में ‘शादी का इरादा’ की शर्त रोड़ा बन सकती है. ‘शादी के इरादे’ की सख्त शर्त बेमेल प्रतीत होती है. सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले में कैजुअल लिव-इन संबंधों को कवर नहीं किया गया है.

-डॉ. अनिता राठौर

सुधारों से मजबूत होगा एमएसएमई



संसद के दोनों सदन में हाल ही में पारित किया गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संसोधन विधेयक, 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव पंजीकृत हैं, जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. एमएसएमई हमारी आर्थिकी में 31 प्रतिशत तथा निर्यात में 50 प्रतिशत योगदान देते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी है.

वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त करके अधिक व्यापक और समावेशी बनाया गया था. वर्ष 2025 में उद्यमों की निवेश सीमा ढाई गुना बढ़ाकर क्रमशः ढाई करोड़, पच्चीस करोड़ और एक सौ पच्चीस करोड़ की गई है एवं टर्नओवर को दो गुना बढ़ाकर क्रमशः दस करोड़, सौ करोड़ और पांच सौ करोड़ किया गया. वित्त की उपलब्धता

व्यापार में सुगमता ही संशोधन का उद्देश्य

मंत्रालय की इन निरंतर पहलों और प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक, 2026 पास किया गया है. इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) और नियमों का अनुपालन करने को बढ़ावा देना है. यह संशोधन हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और संबंधित मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद किया गया है. समावेशी, टिकाऊ और रोजगार-प्रधान आर्थिक विकास हासिल करने के लिए एक मजबूत एमएसएमई सेक्टर जरूरी है. ये संशोधन विकसित भारत 2047 के विज़न के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं. इस से उद्यमों के औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, उनके विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा और वे विकास के चैंपियन बन सकेंगे.

एमएसएमई क्षेत्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है. एमएसएमई को प्रदान किया गया बकाया ऋण, वर्ष 2014-15 में 10 लाख करोड़ रुपये था, जो कि अब बढ़कर 38 लाख 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराता है. इसके ज़रिए वर्ष 2000 से 2022 के बीच क्रेडिट गारंटी 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये थी, जो पिछले चार वर्षों में अर्थात् 2022-23 से 2025-26 तक बढ़कर 10 लाख 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक लगभग 8 लाख 34 हजार सूक्ष्म उद्यमों को 24 हजार 903 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है, जिससे अनुमानित 75 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं.

एमएसएमई को उनका भुगतान समय पर दिलाने हेतु मंत्रालय ने कई सार्थक प्रयास किए हैं, ट्रेड्स इनमें से एक है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत में एमएसएमई की लिक्विडिटी (नकदी) संबंधी चुनौतियों तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में शुरू किया गया था. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई क्षेत्र को मार्च 2026

तक 8,71,000 करोड़ रुपये की इनवॉइस डिसकाउंटिंग के माध्यम से समय पर भुगतान दिलवाया है. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़े एमएसएमई की संख्या अप्रैल 2022 में 34,430 थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 2,55,000 से अधिक हो गई है.

एमएसएमई मंत्रालय महिला उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. मंत्रालय की अनेक योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है. आज उद्यम पोर्टल पर 39% से अधिक एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व में हैं, यानि 3.38 करोड़ के लगभग एमएसएमई महिला स्वामित्व में हैं और जिनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है. क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, महिलाओं के लिए 90 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज है और सालाना गारंटी फीस में 10% तक की छूट प्रदान की जाती है. खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत ट्रेड फेयर में महिला उद्यमियों की भागीदारी पर 100% सब्सिडी दी जाती है, जबकि दूसरे उद्यमियों के लिए यह 80% है. पीएमईजीपी में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 25 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान है. अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति का विकास, मंत्रालय की प्राथमिकता है.

(लेखिका केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं.)

बाढ़ के कहर से कैसे निपटा जाए?

प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का वश नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक उपाय, उचित नियोजन व बेहतर प्रबंधन से नुकसान को कम किया जा सकता है. इस वर्ष बाढ़ से 440 लोगों की मौत हो चुकी है. असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में बहुत बुरी स्थिति है. असम के शिवसागर, जोरहाट व चराईदेव जिलों में 104 लोगों को जान गंवानी पड़ी तथा 1.4 लाख लोग सब कुछ खोकर बेघर हो गए. असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर या 39.6 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ में डूबा है. ब्रम्हपुत्र नदी हर वर्ष अपना मार्ग बदलती है. बाढ़ से जनधन की क्षति को कम करने के लिए दीर्घकालीन योजना की जरूरत है. सड़क, पुल यहां तक कि विमानतल भी जलमग्न हो गए. उत्तराखंड का तमक डैम हैनी ब्रिज, हिमाचल का बाटा रिवर ब्रिज, अरुणाचल का लोहे का पुल पूरी तरह डूब गए. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का नवनिर्मित एक्सप्रेस वे पानी जमा होने से ढह गया. गुरुग्राम में राष्ट्रीय



महामार्ग 48 को भारी नुकसान पहुंचा. देश में रिकार्ड समय में सड़कें बनाई गईं लेकिन कुछ को डिजाइन दोषपूर्ण है, तो किसी का रखरखाव नहीं किया गया. हिमाचल में पहाड़ काटकर बनाई गई सड़कें असुरक्षित हैं, जो बाढ़ या भूस्खलन का शिकार हो जाती हैं. बाढ़प्रणम इलाकों में आवासीय बस्ती, अस्पताल, स्कूल, गोदाम न बनाए जाएं. पानी के बहाव का रास्ता खुला रहे, ऐसी योजना होनी चाहिए. निर्माण कार्य के विस्तार से जलभराव वाली भूमि या वेटलैंड कम हो गए. ड्रेन सर्वे कर पता लगाया जा सकता है कि किन इलाकों में बाढ़ का असर ज्यादा होता है. विज्ञान, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है. पुल की ऊंचाई बढ़ाने, नदियों के टटबंध निर्माण पर भी ध्यान देना होगा. उपग्रह से बाढ़ आने का संकेत मिलने पर बस्तियां खाली कर लोगों की जान बचाई जा सकती है. विकास की अंधी दौड़ व दोषपूर्ण नियोजन से भी बाढ़ का संकट बढ़ा है.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD12353

- डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5
		6		
7	8			9
			10	11
12	13			
	14	15	16	17
18	19		20	21
		22		23

बाएं से दाएं

1. मोर (सं.) 3. यह संसार जहां मनुष्य जन्म से मृत्यु পর্যंत रहता है (सं.) 6. बनारस के निकट एक तीर्थस्थल 7. सहमत होना, स्वीकृत करना 9. केश, बच्चा 10. किसी निर्वाचन क्षेत्र में दिए हुए मतों या वोटों की गिनती 12. मानसिक अभाव या धक्का 14. तमशा देखने वाला 18. प्रवाह, दफा 19. एक पहर का तीन घंटे का समय, रात, यम संबंधी 20. सामग्री, क्रय-विक्रय की वस्तुएं, धन, संपत्ति 22. भविष्य में आने या होने वाला 23. रोष, कोप, आपत्ति, विचित्र बात

ऊपर से नीचे

1. बहुत से लोगों का जमाव, जमघट 2. रसपूर्ण करना, आनंद लुटना 3. अनुग्रह, कृपा, एहसान 4. हाथ का समासगत रूप 5. स्वीकार करना 8. बढ़िया, नकद 9. तीर, शर 11. निश्चिन्ता. कंगाली, दीनता 12. किसी का संदेह दूर करने वाली बात या काम 13. पराजय, मां 15. छली, फरेबी 16. शांति, मोक्ष, अंतकण तथा इन्द्रियों को वश में रखना (सं.) 17. मुसलमानों की ईश्वर प्रार्थना 21. हॉट (उर्दू)

Solution 12352

आ	श	र	आ	र	पा	र
ना	य	क	स	च		सा
	ना	म	क	वा	र	ना
द	गा	सा	र	ना	ध	
श	र	मा	न		शा	म
र		री		त	ला	श
थ	ल	च	र	प		हू
धु		ई	मा	न	दा	र

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित कार्यों में व्यवधान आयेगा. वर्थ के वाद विवाद होंगे. मानसिक अशांति रह सकती है. मित्र के कारण सामाजिक विवाद से तनाव की स्थिति निर्मित होगी. लाभान्वित होने का योग है. पूर्व नियोजित कार्य बनेंगे. वर्ष के अन्त में संतान पक्ष से खुश खबरी मिलेगी. व्यापार में उत्तरदायित्वों को संभालना वढ़ सकता है. मेघ और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को व्यापार के क्षेत्र में उत्तरदायित्व

मेघ- विवाहित वैवाहिक चर्चाओंको लेकर उत्साही रहेंगे. अटक धन बसूल करलेंगे. पारिवारिक दायित्वों की पूर्तिहोगी. व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा.

वृषभ- जो काम सौचकर निकले हैं, उसे पूरा करके ही दम लेंगे. जो लोग उसके प्रभाव से नतमस्तक होंगे, विश्वसनीयताबनी रहेगी. महिला जाति की सलाह लेना उपयोगी होगी.

मिथुन- लेनदेन के मामले आपसी सहमति से सुलझ जायेंगे. संतान पक्ष से सुख सम्पाद मिलेगा. जोखिम के कार्यों को टालना हितकर होगा.

कर्क- जिस कार्य को आप हल्के में ले रहे थे, वो भी आपके लिये परेशानी का कारण बनेगा. वैभव विलासिता की वस्तुओं का संचय होगा. लान और निष्ठा बनी रहेगी.

सिंह- सुख सुविधा पर खर्च होगा. अधिकारियों के मेलजोल का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. किसी निजी कार्य में व्यस्तता रहेगी.

कन्या- टकराव छोड़कर कार्य पर ध्यान दें सफलता मिलेगी. फिजूलखर्ची रोकने का प्रयास करें. मित्रों एवं कुटुम्बियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. परिश्रम की अधिकता रहेगी.

तुला- उच्च अध्ययन में बेहतर सफलता मिलेगी. मार्गालिक यात्रा संभव है. काकाकाज के प्रति लगन एवं निष्ठा रहेगी. कार्य बनने का योग है.

वृश्चिक- विवादों से बचने का प्रयास करें. सहयोगी आपको नीचा दिखाएंगे की कोशिश करेंगे. आय एवं व्यय में समान रहेगा, मन में कुछ खिन्नता रहेगी.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक कोमल तथा नर्म शरीर वाला भावुक निडर, और परिश्रमी होगा. अपनी मनमर्जी का मालिक होगा. विद्या के क्षेत्र में उन्नति होगी. माता पिता को सुखी रखेगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

पंचांग

रा.मि. 28 संवत् 2083 श्रावण शुक्ल सप्तमी बुधवासरै रात 8/27, स्वाती नक्षत्रे दिन 9/17, शुक्ल योगे प्रातः 6/54, गर करणे 9, सु.उ. 5/35, सू.अ. 6/25, चन्द्रचार तुला रातअंत 4/44 से वृश्चिक, शु.रा. 7, 9, 10, 1, 2, 5 अ.रा. 8, 11, 12, 3, 4, 6 शुभांक- 9, 2, 6.

व्यापार भविष्य

श्रावण शुक्ल सप्तमी को स्वाती नक्षत्र के प्रभाव से सोना, चांदी, तांबा, पीतल, आदि धातुओं में नरमी के बाद तेजी होगी. गुरा खंड, शरकर आदि के भाव में परिवर्तन आयेगी. जिस वस्तु में 10 बजे के बाद चाल बढ़ेगी, उसी में व्यापार कर लाभ उठायें. भाग्यांक 1599 है.



करते थे. उसमें मैन्ड्रेक अपनी पत्नी नारडा के साथ चक्करदार रास्ते वाली ऊंची पहाड़ी पर बने बंगले ‘जनाडू’ में रहता है. ’

हमने कहा, ‘जनाडू की नहीं, जेन जी की चर्चा कीजिए. करिश्मा या करामात की बजाय कॉकरोच पर ध्यान दीजिए.

निशानेबाज

ऐसी बातों का दिल पर असर मोदी को क्यों कहा जादूगर!

जंतर-मंतर का जादू आपने देखा होगा. बीजेपी की सीजेपी ने हैरान-पेरान करके रख दिया था. ’

पड़ोसी ने कहा, ‘निशानेबाज, उन जादूगरों को भूल जाइए जो हैंट से कबूतर या खरगोश निकालते थे. राहुल गांधी की राय में मोदी सबसे बड़े जादूगर हैं. वह उनके जादू की ट्रिक समझने की कोशिश कर रहे हैं. वह उस मायाजाल को देख रहे हैं जिसमें एयरपोर्ट, बंदरगाह और खदानें अदाणी के पास खिंचे चले जा रहे हैं, मुकेश अंबानी की दीलत बढ़कर कुबेर के खजाने जैसी होती चली जा रही है. संवैधानिक संस्थान पिंजरे में कैद सुस्त बूढ़े शेर जैसे हो गए हैं.’ हमने कहा, ‘राहुल की सोच अपनी जगह है लेकिन मोदीमय देश में विपक्ष छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. विपक्ष की बेकरारी यह है कि बीजेपी इतनी मजबूत क्यों है? वह चर्चा में भाग न ले तब भी संसद में सरकार दनादन बिल पास करा लेती है. अब सिर्फ महिला आरक्षण की पैकिंग में परिसीमन बिल पास कराने और लोकसभा की सीट 800 से ज्यादा बढ़ाने की देर है. मोदी हैं तो मुक्तिन हैं!’

SUDOKU7485

		5		8			3
	7			3	5		
3					6		
	6			7			8 5
4 2						1	
		1					8
		7	4			3	
6		2			7		

नवभारत सू-दो-कु 7484

9	4	8	7	5	1	6	2	3
3	7	5	6	4	2	1	8	9
6	2	1	3	9	8	4	7	5
4	1	3	8	6	7	9	5	2
5	8	6	9	5	2	4	3	1
2	9	7	5	1	3	8	4	6
8	6	4	2	7	9	5	3	1
7	3	9	1	8	5	2	6	4
1	5	2	4	3	6	7	9	8